

23 $\frac{9}{22}$

आज यह पत्रावली देख दुई । वादी एवं
वादी वकील अनुपलित । ब्यायालय में
बार-बार आवाज लगवाने के आवजद
साथ 5.00 बजे तक वादी एवं वादी वकील
में लै कोई उपलित नहीं हुआ।

मूलवाद पुररण अदम हाजिरी
एवं पेशी में खारिज हो चुका है

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
अहक
हुक्म व
ज

भूलवाद का निल्वारण हो जाने से
प्रापत्र 212 RT Act का कोई औचित्य
नहीं रहता है।

अतः प्रापत्र 212 RT Act
की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली
अदम पत्रों में केवल शुमार होकर
रजिस्टर से कम की जावे। संलग्न
भूलवाद है।

SDO